



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2009
दिनांक :- 02/8/2022

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- ABACUS-UP पोर्टल पर प्रविष्टियाँ अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक: 1609/सत्तर-3-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त संस्थानों/महाविद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएँ/प्रविष्टियाँ की समस्त जानकारी (शिक्षक, गैर शिक्षक तथा विद्यार्थियों एवं अन्य सूचना) एबेकस पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संस्थान/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर एबेकस पोर्टल पर अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ/प्रविष्टियाँ (शिक्षक, गैर शिक्षक तथा विद्यार्थियों ए अन्य सूचना) एबेकस पोर्टल पर अतिशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समस्त जानकारी विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी, एबेकस- यू०पी०, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा ई-मेल (abacusup2022@gmail.com) हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी (word or excel file) दोनो रूपों में दिनांक 06.08.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध डाटा को ABACUS-UP पर अपलोड किया जा सके।

प्रारूप:-

COLLEGE NAME	AISHE TYPE	COLLEGE TYPE	COLLEGE MANAGEMENT	LOCATION TYPE	ADDRESS	WEBSITE URL	YEAR OF ESTABLISHMENT	SPECIALIZED
--------------	------------	--------------	--------------------	---------------	---------	-------------	-----------------------	-------------

नोट:- समस्त जानकारी पूर्ण रूप से अंग्रेजी में टाईप (word or excel file)

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रो० शैलेन्द्र सिंह गौरव, नोडल अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)